

**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।**

**प्रकीर्ण वाद संख्या-10 / 2026**

CNR No. UPAU120004432026

**गोविन्द**

**बनाम**

**बृजेश कुमार आदि।**

**दिनांक-18.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षीगण की आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सी0पी0सी0 का0सं0 3ग पर सुना गया।

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता का0सं0 3ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने उक्त वाद सार्वजनिक जगह के सम्बन्ध में दायर किया है, जिसमें विवादित जगह को अक्षर ए,बी,सी,डी व क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम पुर्वा आशा, मौजा कन्हों, तहसील बिधूना, जिला औरैया के सार्वजनिक नाली व चकरोड की जगह है। प्रार्थी ने उक्त वाद प्रतिनिधि वाद के रूप में दायर किया है, जिसमें आम आदमी वाद पत्र में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/वादी को सार्वजनिक हित में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकाशन की एक प्रति न्यायालय में दाखिल की गयी है। विपक्षी/प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गयी है, जिस कारण विपक्षीगण की आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया। वादी के वाद की विषय वस्तु में सामान्य हित निहित है और पक्षकारों के समय और खर्च की बचत को दृष्टिगत रखते हुये वादी को प्रतिनिधि वाद के रूप में वाद दायर करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता का0सं0 3ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता का0सं0 3ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तदनुसार वादी का प्रतिनिधित्व वाद दायर करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते मुंसरिम आख्या सहित दिनांक 03.04.2026 को पेश हो।

**(डॉ० प्रवीण सिंह)  
सिविल जज (जू0डि0)  
बिधूना, औरैया।  
J.O. Code : UP3441**